कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच। RU. 242204864IN

संख्या–2698(23) ना0स0–मलबा नीलामी/2018 दिनाँकः अक्टूबर 31, 2018
2-11-18

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बहराइच में परिसर के दक्षिण तरफ विद्युत फीडर के बगल स्थित पुराने सार्वजनिक शौचालय भवन का ध्वस्तीकरण कर मलबा हटाया जाना है, जिसके सम्बन्ध में सार्वजनिक नीलामी जनपद न्यायालय परिसर में दिनांक 22.11.2018 को समय 4.30 बजे नीलामी समिति द्वारा न्यायालय परिसर में मीटिंग हाल में की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी की तिथि तक सुबह 10.00 बजे से 1.00 बजे तक अपना पहचानपत्र प्रस्तुत करके, धरोहर धनराशि रू0 44,000/– जनपद न्यायालय के नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करके नीलामी में भाग ले सकते है। नियत समय के उपरान्त धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी।

विवरणः–

क्र0 सं0	विवरण	न्यूनतम बोली मूल्य
1	जनपद न्यायालय बहराइच में परिसर में विद्युत फीडर के बगल स्थित पुराने सार्वजनिक शौचालय भवन। लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, बहराइच द्वारा अनुमानित लागत	रू0 439412.00

1– प्रत्येक बोलीदाता को बोली के पूर्व 44,000/– की धनराशि जमानत के रूप में नगद जमा करनी होगी।

2– नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दें।

3– नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अंतिम मानी जायेगी जब बोली को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कर दिया जाये।

5– नीलामी समिति द्वारा यह विचार होने पर कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने दुरभि संधि कर ली है और आपस में मिल गये हैं और उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति परिलक्षित होने पर नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।

6– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के समाप्त होते ही तुरन्त जमा करनी होगी। अवशेष धनराशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

7– बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान ही स्वीकार किया जायेगा।

8– यदि नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो अन्तिम बोली निरस्त कर दी जायेगी और पुनः नीलामी की जायेगी एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9– समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली जब तक माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है तब तक नीलामी की गयी सामग्री सम्बन्धित स्थान पर रहेगी और इसी संरक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोलीदाता की होगी।

10– नीलामी की गयी सम्पत्ति के ध्वस्तीकरण की अनुमति उच्चतम बोली बोलने वाले को तभी दी जायेगी जब उसके द्वारा सामग्री के सम्बन्ध में बोली गयी धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो तथा उसे मलबा/सामग्री को ले जाने की अनुमति दे दी गयी हो।

11– उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत हो जाने के पश्चात बोली की समस्त धनराशि एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी तथा ध्वस्तीकरण की अनुमति के पश्चात एक माह के भीतर भवन को ध्वस्त करने के उपरान्त समस्त सामग्री नियत स्थान से अपने खर्चे पर हटा लेनी होगी तथा भूमि को समतल करना होगा। सामग्री नियत समय में न उठाये जाने पर तथा भूमि समतल न करने पर समिति द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से देय होगा।

12– इच्छुक बोलीदाता भवन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क करके सम्बन्धित स्थल पर जाकर कर सकते है।

13– नीलामी शर्त के विषय में कोई विवाद होने पर जनपद न्यायाधीश, बहराइच का निर्णय अन्तिम होगा तथा विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही बहराइच स्थित सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगी।

14– नीलामी तिथि को शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत नीलामी स्थल में परिर्वतन करने का अधिकार समिति के विवेक पर होगा और इस सम्बन्ध में बोली हेतु उपस्थित व्यक्तियों का समिति द्वारा नियत स्थल पर बोली बोलने हेतु उपस्थित अनिवार्य होगी।

15– बोली पाने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार करना होगा।

(मृदुलेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

दिनाँक : अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

1. जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
2. जिलाधिकारी बहराइच।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष जिला पंचायत/नगरपालिका परिषद/तहसील बहराइच/नानपारा/कैसरगंज/महसी/नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बहराइच को दर्शित स्थलों पर चस्पा करने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, बहराइच को इस आशय के साथ प्रेषित कि किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के निशुल्क प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की एक प्रति नजारत अनुभाग में प्रेषित करें।
6. नायब नाजिर, कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह नीलामी की सूचना जनपद की समस्त तहसीलों/कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें व अपने स्तर से प्रचार प्रसार करें।
7. केन्द्रीय परिसेवी, न्यायिक प्रतिष्ठान बहराइच को इस आशय से कि वे नीलामी की सूचना न्यायालय परिसर में दर्शित स्थलों पर, नोटिस बोर्डों पर, बार संघ के नोटिस बोर्ड पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला चिकित्सालय एवं मुख्य बाजार के दर्शित स्थलों पर चस्पा करावें।
8. जनपद न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

31/10/18

(मृदुलेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

दिनाँक : अक्टूबर 31, 2018